5. राधादेवी पुत्री स्व० माधुरामजी निवासी स्व० खूड
6. हंसादेवी पुत्री स्व० माधुरामजी नि० धाला
7. लीलादेवी पुत्री स्व० माधुरामजी नि० अहोर
8. रेखादेवी पुत्री स्व० माधुरामजी नि० सिरोही

वादीगण प्रार्थीगण संशोधित अनवाद व मृतक माधुराम के उक्त वारिसान के वर्तमान पूर्ण पते के P/F नोटिस पेश करने पर जारी हो। पत्रावली दि. 16-4-2018 को पेश हो।

12/3/18

16-4-18

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। आज सहायक कलक्टर आवश्यकता मार्ग में व्यस्त होने से पत्रावली इस न्यायालय में पेश हो। अतः पत्रावली स्थगित होकर दिनांक 3-5-2018 को पेश हो।

दिनांक 3-5-2018

आज यह पत्रावली नियम आधे घंटे अभियान 2018 के तहत श्री ओम प्रकाश कोई अदालत सेवा केन्द्र बोईली में मेरे समक्ष पेश हुई। प्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा पाया। प्रार्थी को जारी नोटिस तामिल/अपील तामिल प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थी चूकदराम उर्फ। शेष प्रार्थी अनुपस्थित है। अप्रार्थी अनुपस्थित है। वकील प्रार्थीगण तथा वकील अप्रार्थी अनुपस्थित है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी चूकदराम व उसके वकील सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा विचारण इस प्रकरण में पेश तथ्य अन्तर्गत 212 R.T.Act पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उस पर गंभीरता से मनन किया। विचारण इस प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली में प्रार्थीगण व जवाब तथा संलग्न राजस्व रेकर्ड प्रतियाँ तथा पैरोकार सरकार (ना० तह० सिरोही) द्वारा बहस के दौरान बाद ग्राम कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2070-2073 के मध्य खाता नंबर 89 ख० नं. 307 रकबा 0.2800 हेक्टेयर का भी अवलोकन पूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। विचारण इस सम्पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

Continue Page

प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि उक्त ग्रामबंदी संवत 2070-2073 खाता नं. 89 खसरा नं. 307 रकबा 0.2800 हेक्टेयर उक्त बादशुदा कृषि भूमि अपार्थी खातेदार के खातेदारी पट्टे का काश्त पट्टी है। उक्त भूमि कभी भी प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि होने संबंधी दस्तावेजात प्रतियां पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही प्रार्थीगण ने ऐसे दस्तावेज पेश किये है। जिससे यह जाहिर होता हो कि बादशुदा कृषि भूमि पुश्तैनी हो। मूल वाद सं. 28/2001 चन्दुलाल बनाम माधुराम वगैरा की पत्रावली के संलग्न निष्पादित विलेख दि. 25-7-2002 के अनुसार स्व. माधुराम पुत्र मूराडी गुसांई निवासी सिरोही द्वारा अपार्थी रमेशकुमार पुत्र लम्बालाल जाति रावल निवासी जावाल तह. सिरोही को बेची है। उक्त भूमि कभी भी प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि नहीं रही है। बादशुदा कृषि भूमि माधुरामजी की स्वअर्जित थी और केवल मात्र स्व. माधुरामजी के ही पट्टे काश्त व खातेदारी की थी। इस कारण प्रार्थीगण व माधुराम जी के अन्य वारिसान का उक्त भूमि में कोई अधिकार कानूनन उत्पन्न नहीं होते है। इस प्रकार प्रार्थीगण का बादशुदा कृषि भूमि में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तथा सुविधा का संतुलन अपार्थी का बादशुदा भूमि में भूमि क्रय के समय से काबिज होकर काश्त करने से अपार्थी के पक्ष में है तथा अपार्थी को अपनी ही भूमि में प्रवेश करने से व उसके उपयोग उपभोग से निषेधाज्ञा के जरिये वंचित किया जाता है तो अपरिमेय क्षति व असुविधा व बहुविवाद से अपार्थी को उलझना पड़ेगा। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 212 Ri. Act का विरुद्ध अपार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार (खारिज) किया जाता है। निर्णय रा० ले० अ० कैम्प गोईली